कार्यालय

# वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना, मध्य प्रदेश

(मुख्त्यारगंज रेल्वे फाटक के पास सिबिल लाईन सतना)

E-mail-dfosatna@mp.gov.in Phone- 07672-223355

क्रमांक /मा0चि0./ सतना, दिनांक / / /2019

प्रति,

**मेसर्स रिलायन्स जियो**
**इन्फोकॉम लिमि0, 3 फ्लोर,**
**ब्लाक नम्बर1 डीबी सिटी, एम0पी0 नगर**
**भोपाल म0प्र0**

विषयः– सतना जिले में रिलायन्स जियो 4जी प्राजेक्ट गोविन्दगढ़ –सगौनीखुर्द रूट में ओ0एफ0सी0 लाइन डालने हेतु 0.45 हेक्टैयर वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बावत। (प्रकरण क्रमांक/ओ0एफ0सी0/एमपी/ओएफसी/37377/2018)।

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र दिनांक 03.12.2018।

———000———

आपके संदर्भित आवेदन पत्र से सतना जिले के अन्तर्गत सतना जिले में रिलायन्स जियो 4जी प्राजेक्ट गोविन्दगढ़ –सगौनीखुर्द रूट में ओ0एफ0सी0 लाइन डालने हेतु 0.45 हेक्टैयर वनभूमि के प्रस्ताव में आप्टिकल फाइबर लाइन डालने की स्वीकृति जारी करने बावत (प्रकरण क्रमांक/ओ0एफ0सी0/एमपी/ओएफसी/37377/2018) अनुमति बावत प्राप्त हुआ है। आवेदित स्थल की जांच वन परिक्षेत्र अधिकारी मुकुन्दपुर से कराई गई, जिसकी अनुशंसा उपवनमण्डल अधिकारी मैहर द्वारा की गई है। वन परिक्षेत्र मुकुन्दपुर के वनकक्ष क्रमांक पी– 723, 727, 742 लम्बाई 5500 मीटर चौड़ाई 0.60 मीटर, गहराई 1 मीटर रकवा 0.330 हेक्टैयर में राईट ऑफ वे पर आप्टिकल लाईन डालने की अनुमति के प्रकरण में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा0चि0/2076 दिनांक 21.02.2019 से ऑन लाईन भाग–2 की पूर्ति की जाकर हार्ड कॉपी प्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर अनुमोदन हेतु भेजा गया। मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा द्वारा प्रस्ताव के भाग–3 में दिनांक 23.02.2019 से अनुमोदन जारी किया जाकर इस कार्यालय को भेजा गया।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग द्वारा दिये गये प्रावधान अनुसार म0प्र0 शासन वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5/08/2002/10–3 भोपाल दिनांक 01 जुलाई 2009 तथा वन विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 18.11.2004 एवं दिनांक 14.12.2005, 01.07.2009 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक /एफ/11/2015/2637 भोपाल दिनांक 28.10.2015 से वनभूमि अन्तर्गत भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबिल से संबंधित प्रकरणों में शर्तों के अधीन अनुमति जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2008 से राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बाहर तथा वृक्ष की कटाई न होने पर अण्डर ग्राउण्ड आप्टिकल फाइवर केवल डालने के कार्य को एन0पी0व्ही0 वसूली से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्रमांक 77 दिनांक 08.01.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रकरण में यदि एन0पी0व्ही0 अथवा अन्य कोई राशि आवेदक संस्थान से नहीं ली जानी है, तो भी आवेदक संस्थान को ऑन लाइन राशि रूपये 100/– का कैम्पा खाते के अदर मद में राशि जमा करने हेतु मॉग पत्र अपलोड करने के निर्देश दिये गये है। ऑन लाइन राशि रूपये 100/– का कैम्पा खाते के अदर मद में राशि जमा कर चालान एवं बैंक डिटेल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

वनमण्डल सतना के वन परिक्षेत्र मुकुन्दपुर के वनकक्ष क्रमांक पी– 723, 727, 742 लम्बाई 5500 मीटर चौड़ाई 0.60 मीटर, गहराई 1 मीटर रकवा 0.330 हेक्टैयर में राईट ऑफ वे पर आप्टिकल फाइबर केबिल डालने की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। आपके द्वारा वेब पोर्टल पर अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन अपलोड करने तथा हार्ड कॉपी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त ही औपचारिक स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। **यह प्रथम चरण स्वीकृति वनक्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति नहीं होगी।**

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
2. वनभूमि में भूमिगत आप्टिकल फाइबर डालने की स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत ही होगी। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
3. आप्टिकल फायबर केबिल विछाने हेतु वन परिक्षेत्र बरौधा के वनकक्ष क्रमांक पी– 723, 727, 742 लम्बाई 5500 मीटर चौड़ाई 0.60 मीटर, गहराई 1 मीटर रकवा 0.330 हेक्टैयर से अधिक वनभूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा।
4. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं किया जावेगा।
5. आप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने में खोदी गई खंती का समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्थान के स्वयं के व्यय से खंती से निकाली गई मिट्टी से ही किया जावेगा।
6. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा।
7. आप्टिकल फाइबर केबिल लाइन डालते समय वृक्षों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जावेगी और न ही प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वनक्षेत्र को तोड़ा जावेगा।
8. आवेदक संस्थान/ठेकेदार द्वारा वनक्षेत्र को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से वसूल की जावेगी।
9. आवेदक संस्थान द्वारा लिखित वचन पत्र दिया जावे कि यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन या वरिष्ठ कार्यालय वन विभाग द्वारा प्रकरण में अन्य कोई शर्त अधिरोपित की जाती है तो वह सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होगी।
10. **वनभूमि में उपरोक्त प्रस्तावित मार्ग में ओएफसी केबिल डालने के दौरान मशीनरी (जे0सी0बी) आदि का उपयोग प्रतिबंधित है। खन्ती खुदाई का कार्य श्रमिकों से ही कराया जावेगा।**

(राजीव कुमार मिश्रा)
भा0व0से0
**वनमण्डल अधिकारी**
**वनमण्डल सतना**

पृष्ठांकन क्रमांक/मा0चि0/2328 सतना, दिनांक/28/2 /2019

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. उपवनमण्डल अधिकारी उपवनमण्डल मैहर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। **आवेदक संस्थान से उपरोक्त अधिरोपित शर्तों का पालन कराना सुनिश्चित करें।**
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी वन परिक्षेत्र मुकुन्दपुर की ओर सूचनार्थ। **लेख है कि आपके अधिनस्थ वनक्षेत्र में डाली जाने वाली आप्टिकल फाइबर केबिल लाईन की सतत निगरानी करें कि दी गई अनुमति के अतिरिक्त वनक्षेत्र में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न करें जिससे वनक्षेत्र को किसी प्रकार की हानि न हो। इस बावत आप स्वतः नियंत्रण रखें तथा अपने अधिनस्थों को भी निर्देशित करें।**

वनमण्डल अधिकारी
वनमण्डल सतना